फा. स. **03-05/2017-DD-III (E. 14133)**

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

**********

दिनांक: 27 जुलाई, 2022

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से संबंधित विभाग
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

**विषय: दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित करने तथा क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के संबंध में**

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश प्राप्त हुआ है कि विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006 की समीक्षा करने और एक नई राष्ट्रीय नीति के मसौदे का सुझाव देने के लिए सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन एक समिति गठित की है। समिति द्वारा प्रस्तावित मसौदा राष्ट्रीय नीति को 31 अगस्त 2022 तक सभी हितधारकों की टिप्पणियों के लिए विभाग के वेबसाइट पर रखा गया है।

2. दिनांक 24.06.2022 को आयोजित केंद्रीय दिव्यांगगता सलाहकार बोर्ड की 5वीं बैठक में भी उपरोक्त मामले पर चर्चा की गई और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी टिप्पणियां दी गई समय सीमा के भीतर भेजना सुनिश्चित करें । मसौदा राष्ट्रीय नीति (अंग्रेजी और हिंदी) विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। विभाग द्वारा श्रवण बाधित और दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सुविधा के लिए मसौदा राष्ट्रीय नीति दस्तावेज, क्रमशः सांकेतिक

भाषा संस्करण और ब्रेल में विकसित किया जा रहा है। अब विभाग को हितधारकों द्वारा यह भी मांग की जा रही है कि मसौदा राष्ट्रीय नीति को क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाये ।

3. अतः उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध है कि:

- मसौदा राष्ट्रीय नीति पर अपनी टिप्पणी 31.08.2022 तक भेजना सुनिश्चित करें;
- मसौदा राष्ट्रीय नीति को संबंधित राज्य विशेष की भाषाओं मे अनुवाद करें और उस पर टिप्पणी मांगने के लिए इसे अपनी विभागीय वेबसाइट पर रखें। क्षेत्रीय भाषाओं में प्राप्त मसौदा नीति पर टिप्पणियों को संकलित कर के अंग्रेजी/हिंदी में इसका सारांश इस विभाग को विचार के लिए भेजें ।

आपका आभारी

(मृत्युंजय झा)
भारत सरकार के उप सचिव
दूरभाष: 24369045

प्रतिलिपि

- सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पीपीएस
- संयुक्त सचिव (नीति), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निजी सचिव